Demand for declaring Lianpui Village of Mizoram as National importance

SHRI K. VANLALVENA (Mizoram): Mr. Deputy Chairman, Sir, here is a brief history of ancient Menhirs in Lianpui village. Lianpui village is located at the extreme Eastern corner of Mizoram, near Myanmar boundary. The village is in Champhai district with 156 household. The Archeologists from Regional Archeological Survey of India, Guwahati, identified the ancient Menhirs of Lianpui village as one of the important Menhirs in Mizoram. Due to the initiative taken by Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, these ancient Menhirs are proposed to become 'National Importance'. On 9th February, 2021, the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) issued preliminary notification in the Gazette of India which contained notice of its intention to declare the said Menhirs to be of 'National Importance'. The notification also stipulated that any objections to such declaration may be made to the ASI within two months from the date of its issue. It appears that no objections were received within the stipulated time frame. The Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, and the Archaeological Office, Mizoram, said that they have done the needful for declaration of it to be as 'National Importance'. The only need to do is just declaring and issuance of notification. So, I kindly request the Union Government to declare Linpui village as 'National Importance'. Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri K. Vanlalvena: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Dr. Sumer Singh Solanki — Demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India.

Demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नर्मदे हर। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों के निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। महोदय,

2014-15 में भारत में कुल 9,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे, जो कि मार्च, 2023 तक बढ़कर 1 लाख, 45 हज़ार, 155 किलोमीटर हो गए हैं। महोदय, यह एक ऐसिहासिक कार्य है।

माननीय उपसभापति महोदय, 2019 में 'मोटर वाहन अधिनियम' को कठोर बनाने के बावजूद भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है और यह हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 के मध्य देश में कुल 36 लाख, 2 हज़ार, 913 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 12 लाख, 1 हज़ार, 538 लोगों ने अपनी जानें गँवाईं। ऐसी दुर्घटनाओं से कुछ परिवार तबाह हो जाते हैं और अंग-भंग से भी लाखों भाइयों और बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 4 लाख, 29 हज़ार, 407 लोगों ने अपनी जान गँवाईं, स्टेट हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं नें 3 लाख, 13 हज़ार, 917 लोगों ने अपनी जान गँवाईं एवं अन्य लिंक रोड्स और छोटी सड़कों पर हुईं दुर्घटनाओं में 4 लाख, 58 हज़ार, 214 लोगों ने अपनी जान गँवाई हैं। देश में होने वाली इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इन्हें रोकने की चिंता करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं समाधान में सुखद परिणाम का भी जिक्र करना चाहता हूं। इंदौर के पास मानपुर घाट, जो गणेश घाट के नाम से प्रसिद्ध था, उस पर प्रतिवर्ष सैकड़ों भाइयों और बहनों की दुर्घटना में मौतें होती थीं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक नई सड़क का निर्माण हुआ है और पिछले तीन महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। यह हम सबके लिए एक सुखद सूचना और परिणाम है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि लिंक रोड्स और लोकल रोड्स पर होने वाली मृत्यु नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे पर होने वाली मृत्यु से कहीं ज्यादा है। महोदय, इन पर प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं, 19 मौतें और हर दिन 1,264 दुर्घटनाएं, 456 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े इस विकराल संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, तेज गति से वाहन चलाने के कारण, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के कारण, शराब पीकर वाहन चलाने के कारण और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'मोटर यान अधिनियम, 2019' में और कठोर कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक हमारे भाई और बहनें अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Subhash Barala (Haryana), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Kalpana

Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Prakash Chik Baraik - Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS. माननीया श्रीमती ममता ठाकुर ने इस issue के साथ associate किया है।

Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS

SHRI PRAKASH CHIK BARAIK (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me the opportunity. महोदय, मेरा सरकार से पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य को विकास योजना, जैसे मनरेगा के लिए बकाया धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आज आपका और केंद्र सरकार का ध्यान अपने राज्य पश्चिमी बंगाल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, 2021 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल राज्य को मनरेगा योजना के तहत उनका वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है। 59 लाख गरीब मजदूर परिवार, जिन्होंने वैध तरीके से काम किया है, उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। वे गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। महोदय, 20, 25, एवं 50 दिन तक काम करने के बावजूद भी उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। उनका वेतन रोकने का प्रयास न केवल नैतिक मूल्य की दृष्टि से गलत है, बल्कि कांस्टीट्यूशन के मूल एक्ट की विशेषताओं का भी उल्लंघन है। महोदय, अक़सर बढ़ती कीमत एवं व्यापक बेरोजगारी के कारण इन मजदूरों को बिना वेतन अपनी जीविका का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वर्तमान में MGNREGS के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल 7 हज़ार करोड़ रुपये पाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत जो धनराशि मिलती है, उसको भी रोककर रखा हुआ है। महोदय, इसमें पश्चिमी बंगाल के 11 लाख गरीब परिवारों का पैसा रोका गया है। अगर देखा जाए, तो आवास के बकाये 8 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। इसी तरह से अगर Department-wise आवास एवं 100 दिन का बकाया देखा जाए, तो 15 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। डिपार्टमेंट-वाइज़ 1 लाख, 70 हज़ार करोड़ रुपया रोका गया। बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय की अगुवाई में मनरेगा के 25,000 वर्कर्स को पैसा दिया गया। 11 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख परिवारों को घर के नाम में, बांग्लार बाड़ी के नाम पर 1,20,000 रुपये दिए गए, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा 31 दिसंबर तक दे दिया गया। धनराशि रोकना कांस्टिट्यूशनल एवं फेडरल स्ट्रक्चर का एक गंभीर उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब विरोधी न बनें, जन विरोधी न बनें, लोकतंत्र विरोधी न बनें। * ...**(व्यवधान)**...

---

* *Not recorded.*